

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुझुनुं (राज0)

मुकदमा 26/2020 किस्म मुकदमा धारा 91 एल.आर.एक्ट रज्जु दिनांक 08.03.2020 निर्णय दिनांक 29.07.2020

उनवान सरकार बनाम मनीराम पुत्र हरिसिंह जाति मेघवाल निवासी लालामाण्डी तहसील बुहाना जिला झुझुनुं (राज0)

-: निर्णय :-

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का उदामाण्डी ने सम्बत 2078 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि वाके ग्राम लालामाण्डी की राजकीय भूमि ख0न0 126 कुल रकबा 41.44 है0 किस्म गैर मुमकिन में से 0.01 है0 भूमि पर अतिक्रमी मनीराम पुत्र हरिसिंह जाति मेघवाल निवासी लालामाण्डी ने अवैध रूप से पक्का मकान बनाकर अवैध रूप से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी द्वारा नोटिस जबाब पेश किया गया, जो शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण जां काबिल नियमन नहीं है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि में पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से बंदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से पक्का मकान बनाकर अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 4.44/- का अतिक्रमण शुदा लगान 0.044 की 50 गुणा जुर्माना राशि 3.00/- बतौर शास्ति कायम किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0अ0निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/बंदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू0 अ0 निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत भूमि से वास्तविक रूप से बंदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तामील दाखिल दपतर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फौसला हो।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2020 को खुले न्यायालय सुनाया में सुनाया गया।

रत्ने सं. 4 वर्ष 2020-21 के पृ. सं. 81 पर 31 की मांग कायम की गई।

(मांगेराम पूनिया)
तहसीलदार बुहाना

Suman
तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील बुहाना